

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-4116/2022

सुभाष श्रीमाल (कर्मचारी आई.डी.-आरजेएएल200902002150)

—अपीलार्थी

### बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान,  
सचिवालय, जयपुर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.09.2022

आदेश की दिनांक : 14.10.2022

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्था संख्या 1 व 2 की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

शुचि शर्मा, सदस्य

### आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी प्रवक्ता-इलेक्ट्रॉनिक्स के पद पर कार्यरत है। आदेश दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण राज. खेतान पॉलि. महा. जिला जयपुर से राज. पॉलि. महा. जिला चुरु में किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण निजी प्रत्यर्थाया मनोज भार्गव को अपीलार्थी के स्थान पर समंजन करने की दृष्टि से किया गया है, जो अनुचित है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी पीएचडी पाठ्यक्रम की पढाई कर रहा है। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 24.04.2019 के द्वारा अपीलार्थी को उच्च अध्ययन किये जाने की अनुमति प्रदान की थी। वर्तमान में पीएचडी की पढाई पूरी नहीं है। अपीलार्थी जयपुर में पीएचडी की पढाई कर रहा है। ऐसे में जयपुर से बाहर स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)